31/5/17

पत्रावली आज [illegible] कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कांकेलाव पेश हुई। बावजूद सूचना प्रकरण के पक्षकारान अनुपस्थित रहे। पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। पत्रावली दिनांक 31.5.2011 से बहस हेतु लम्बित चल रही है। लगभग आठ वर्ष पश्चात् भी प्रकरण के पक्षकारों द्वारा बहस नहीं की गयी। वकील पक्षकारों / पक्षकारों द्वारा बार-बार अन्तिम बहस हेतु दिये गये अवसरों से अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण की भूमि को लेकर दोनों पक्षों में गम्भीर विवाद है। अतः प्रकरण के प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति को मद्देनजर रख वाद दोनों पक्षों को भूमि पर [illegible] को अस्थाई निषेधाज्ञा।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
जोधपुर

(6)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकदमात ACEM (FT) मुकाम JDR

चैनाराम बनाम कालूराम

दफा धारा 212 RTAct नं. 176/17 ACEM (FT) सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पाबंद किया जाना विधिनुकूल है। अतः प्रकरण के दोनों पक्षकारों को ग्राम कांकेलाव के ख० नं० 640 रकबा 55-01 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड में यथा स्थिति बनाये रखने एवं किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं किये जाने हेतु ता फैसला मूल कार्यवाही निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 31-5-2017 को बमुकाम ग्राम पंचायत कांकेलाव कैम्प कोर्ट में खुले आम सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

Scanned by CamScanner